

No. 1(6)/2010-E-II (B)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure  
-----

New Delhi, the 22nd September, 2010.

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.7.2010.**  
-----

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1 (3)/2009-E-II(B) dated 26<sup>th</sup> March, 2010 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 35% to 45% with effect from 1<sup>st</sup> July, 2010.

2 The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1 (3)/2008-E-II(B) dated 29<sup>th</sup> August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3 The additional instalment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4 These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5 In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.



**(Anil Sharma)**

**Under Secretary to the Government of India**

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list etc.

Copy (with usual number of spare copies) to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

फा.सं.1(6)/2010-संस्था-II (ख)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.07.2010 से लागू संशोधित दरें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 26 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)/2009-संस्था-II(ख) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की मौजूदा 35 प्रतिशत की दर को 01 जुलाई, 2010 से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.1(3)/2008-संस्था-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

4. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष में प्रभार्य होगा। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए जाते हैं।

32. 2/10

( अनिल शर्मा )

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि:- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक सूची के अनुसार (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।